संख्या-52/2016/वे0आ0-2-951/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त विभाग,
वित्त (सेवायें) अनुभाग-1,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2016

विषय- सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग तथा अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग की वेतन विसंगति से संबन्धित प्रकरण पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध अधीनस्थ लेखा संवर्ग तथा अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण मुख्य सचिव समिति को संदर्भित हुआ। उक्त प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 14 जून, 2016 को मुख्य सचिव समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

2- मुख्य सचिव समिति की उपर्युक्त बैठक दिनांक 14 जून, 2016 का कार्यवृत्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-52/2016/वे0आ0-2-951(1)/दस-16-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अधीनस्थ लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की दिनांक 14 जून, 2016 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 14 जून, 2016 को सम्पन्न मुख्य सचिव समिति की बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :––

(1) श्री राहुल भटनागर, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग– सदस्य।
(2) श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग– सदस्य।
(3) श्री अजय अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग– सदस्य–सचिव।

2– निर्धारित कार्य बिन्दुओं के अनुसार संघ की मांगों के सम्बन्ध में श्री बी0पी0 मिश्र, अध्यक्ष, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पत्र दिनांक 01 मार्च, 2016 एवं 10 फरवरी, 2016 तथा श्री हरि किशोर तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् के पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2015 तथा श्री सुशील कुमार बच्चा, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा परिसंघ द्वारा प्रदेश के लेखा संवर्ग एवं लेखा परीक्षा संवर्ग के सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4200/– तथा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4800/– प्रदान किये जाने की मॉग की गयी है।

3– उक्त मॉग के सम्बन्ध में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् एवं उत्तर प्रदेश लेखा एवं लेखा परीक्षा परिसंघ द्वारा समिति को निम्नवत् अवगत कराया गया :––

संघ द्वारा मॉग के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ सहायक का पद वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– में था, जिसे वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में प्रधान सहायक पदनाम देते हुए उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4200/– प्रदान किया गया है। इसी प्रकार लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षक का पद वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– में था, जिसका पदनाम प्रशासनिक अधिकारी करते हुए उच्चीकृत ग्रेड वेतन रु0 4600/– दिया गया है। लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक का पद भी वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/– में था तथा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक का पद भी वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– में था। लेखा तथा लेखा परीक्षा संवर्ग के वेतनमान यथावत् रखे गये हैं जबकि लिपिकीय संवर्ग के समकक्षीय पदों के ग्रेड वेतन उच्चीकृत किये गये हैं। लिपिकीय संवर्ग के प्रधान सहायक का ग्रेड वेतन रु0 2800/– किये जाने एवं प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड

वेतन रू0 4200/– किये जाने के आधार पर लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के प्रथम स्तर के पद सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4200/– तथा द्वितीय स्तर के पद लेखाकार/ वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4200/– के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4800/– दिये जाने की मांग की गयी है।

4– उपर्युक्त के क्रम में लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के प्रथम स्तर एवं द्वितीय स्तर के पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4200/– एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार विचार किया गया :—

(1) दिनांक 01 जनवरी, 1986 से पूर्व लेखा संवर्ग का ढॉचा लिपिकीय संवर्ग के समानान्तर था। दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू व्यवस्था में लिपिकीय संवर्ग का ढॉचा यथावत् रहा परन्तु लेखा संवर्ग में सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के कुल पदों के 20 प्रतिशत पद सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान रु0 1200–2040 में तथा 80 प्रतिशत पद लेखाकार पदनाम से वेतनमान रु0 1400–2600 में रखे जाने का निर्णय केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर लिया गया है। वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार लिपिकीय संवर्ग के ढॉचे में परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–1806/दस–2001–44/2001, दिनांक 24 सितम्बर, 2001 द्वारा लेखा संवर्ग के ढॉचे में कनिष्ठ लेखा लिपिक (वेतनमान रु0 3050–4590) के पद को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया तथा लेखा लिपिक (वेतनमान रु0 4000–6000) के सभी पदों को सहायक लेखाकार (वेतनमान रु0 4000–6000) के पदों में संविलीन कर सहायक लेखाकार पदनाम से वेतनमान रु0 4000–6000 में रखा गया है।

(2) वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर विचार करने हेतु गठित मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग हेतु अर्धशासकीय पत्र संख्या–वे0आ0–2–28/दस–2005–44/ 2001, दिनांक 14 जनवरी, 2005 द्वारा केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि सहायक लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रु0 4000–6000 को दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से उच्चीकृत करते हुए वेतनमान रु0 4500–7000 प्रदान किया जाये। इसी प्रकार लेखाकार तथा वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रु0 5000–8000 को दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से उच्चीकृत करते हुए वेतनमान रु0 5500–9000 प्रदान किया जाये। सहायक लेखाकार/ लेखा परीक्षक तथा लेखााकर/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर उक्त

उच्चीकृत वेतनमान भारत सरकार से स्थापित समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये हैं।

(3) इस प्रकार लेखा संवर्ग के ढाँचे में कनिष्ठ लेखा लिपिक तथा लेखा लिपिक अस्तित्व में नहीं रह गये और ढाँचे के प्रथम पद का पदनाम सहायक लेखाकार तथा दूसरा पद लेखाकार हो गया। इसी के साथ लेखा संवर्ग में वरिष्ठ लेखाकार पदनाम से नये स्तर का पद सृजित किया गया।

(4) लिपिकीय संवर्ग के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 1986 से लागू ढाँचा बना रहा जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन संरचना के अन्तर्गत निम्नवत् पुनर्गठित किया गया :—

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		पुनरीक्षित व्यवस्था	
	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	पदनाम	वेतन बैण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कनिष्ठ लिपिक	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 1900/–	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/–
2	वरिष्ठ लिपिक	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/–	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/
3	वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/–	प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–
4	कार्यालय अधीक्षक/ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/–	प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/–	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–
6	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/–	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रु0 5400/–

(5) वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर क्रमशः शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1853/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1852/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा निर्णय लिया गया। उपरोक्त निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के माध्यम से सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) को यथावत बनाये रखा गया।

(6) उपरोक्त निर्णय दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 के द्वारा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4200/– को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त अधीनस्थ लेखा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के कुल पदों को 1 : 3 में विभाजित करते हुए क्रमशः सहायक लेखाकार तथा लेखाकार के पद रखे गये। इसी प्रकार अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के अन्तर्गत लेखा परीक्षक एवं

वरिष्ठ लेखा परीक्षक के कुल पदों को 1 : 3 में विभाजित करते हुए लेखा परीक्षक एवं वरिष्ठ लेखा परीक्षक पदनाम से पद रखे गये।

5— संघ द्वारा अवगत कराये गये उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा की गयी संवीक्षा में निम्नवत पाया गया :—

(1) सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक तथा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पद लिपिकीय संवर्ग के पद यथा प्रधान सहायक एवं कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी से तुलनीय नहीं हैं। यदि अधीनस्थ लेखा संवर्ग एवं अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक तथा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर केन्द्रीय समकक्षता स्थापित न होती तो लेखा संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखा लिपिक (वेतनमान रू0 3050—4590) तथा लेखा लिपिक (वेतनमान रू0 4000—6000) के पदों पर सामान्य पुनरीक्षण के अन्तर्गत क्रमशः ग्रेड वेतन रू0 1900/— तथा ग्रेड वेतन रू0 2400/— अनुमन्य होता। अर्थात सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक के पदों पर सामान्य पुनरीक्षण के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 2400/— ही अनुमन्य होता जबकि केन्द्रीय समकक्षता स्थापित होने के कारण इन पदों पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 2800/— प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कनिष्ठ लेखा लिपिक एवं लेखा लिपिक के पदों के 80 प्रतिशत पद लेखाकार (वेतनमान रू0 4500—7000) में केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वर्गीकृत किये गये हैं।

(2) अवर अभियन्ता के पदों पर भी वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 4200/— के स्थान पर उच्चीकृत ग्रेड वेतन रू0 4800/— दिये जाने तथा सहायक सांख्यकीय अधिकारी, अपर सांख्यकीय अधिकारी, उप पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, नायब तहसीलदार, मनोरंजन कर निरीक्षक आदि पदों पर भी उच्चीकृत ग्रेड वेतन की मांग की जा रही है। यदि लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों पर केन्द्रीय समकक्षता से अलग हटकर विचार किया जाता है तो अन्य समकक्षीय पदों, जिनके द्वारा केन्द्रीय समकक्षता से अलग हटकर उच्चीकृत ग्रेड वेतन की मांग की गयी है, को नकार पाना सम्भव न होगा परन्तु संघ द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराये गये हैं, उनके सम्बन्ध में इस आधार पर और परीक्षण की आवश्यकता है कि अन्य जिन पदों पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये गये हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा गठित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है जिसके क्रम में राज्य में भी वेतन समिति गठित की जायेगी। अतः इस प्रकरण को राज्य में गठित होने वाली समिति द्वारा विचार किया जाना उपयुक्त होगा।

समिति की संस्तुति

6— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त समिति की संस्तुति निम्नवत है :—

अधीनस्थ लेखा संवर्ग तथा अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये गये हैं। सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक तथा लेखाकार/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के पदों पर लिपिकीय संवर्ग के पद यथा वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक तथा कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी से तुलना के आधार पर संघ द्वारा जो तथ्य उपलब्ध कराये गये हैं, उनके सम्बन्ध में इस आधार पर और परीक्षण की आवश्यकता है कि अन्य जिन पदों पर केन्द्रीय समकक्षता के आधार पर वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये गये हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा गठित सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है जिसके क्रम में राज्य में भी वेतन समिति गठित की जायेगी। अतः इस प्रकरण पर राज्य में गठित होने वाली समिति द्वारा विचार किया जाना उपयुक्त होगा।

(राहुल भटनागर)
सदस्य।

(किशन सिंह अटोरिया)
सदस्य।

(अजय अग्रवाल)
सदस्य—सचिव।

(आलोक रंजन)
अध्यक्ष।

दिनांकः 14 जून, 2016